न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/16/20	24–08–2020	10–08–2021

1. श्रीमती गीता स्त्री रामजस जाति अहीर निवासी बिचपुरी तहसील बहरोड, अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र शिम्भू दत्त।
2. धनरेश पुत्र शिम्भू दत्त।
3. नरेश पुत्र शिम्भू दत्त।
4. इन्द्रा पुत्री शिम्भू दत्त।
5. ममता स्त्री उमेश।
6. उदित पुत्र उमेश।
7. दिपाक्षी पुत्री उमेश जाति समस्त ब्राहमण निवासीयान जागूबास बहरोड तहसील बहरोड, अलवर।
8. तहसीलदार बहरोड जिला अलवर।

असल रेस्पा0

अपील विरूद्ध तहसीलदार बहरोड के दिनांक 09.05.17 बाबत इन्तकाल सं0 874 वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड व जिला अलवर नाम दुरूस्ती।

उपस्थित :–

01. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अपीलान्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड के आदेश दिनांक 09.05.17 जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 874 वाके ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड जिला अलवर से इन्द्राज से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पा0 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि तहत अदालत द्वारा विवादित इंतकाल अपीलान्ट के पीछे से बिना अपीलान्ट को तलब किये एवं बिना सुनवाई का अवसर देते हुए स्वीकृत किया गया है। विवादित इंतकाल खरीदशुदा आराजी की बाबत गलत तौर पर स्वीकार किया गया है जिस कारण अपीलान्ट के हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहें है। आराजी हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.91 है0 में रामबाबू पुत्र शिम्भु दत्त का 1/24 हिस्सा था, जो उसने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.09.2013 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया तथा विक्रय की गई भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा दे दिया गया था। बयनामें के आधार पर अपीलान्ट के नाम इंतकाल स्वीकार नहीं होने के कारण राजस्व रेकार्ड में विक्रेता का नाम दर्ज था। विक्रेता रामबाबू लाऔलाद फौत हो गया तथा उसके मरने के बाद अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि का इंतकाल रेस्पा0 सं0 1 ला0 7 ने अपने नाम गलत स्वीकार करा लिया। मृतक रामबाबू ने अपना कुल हिस्सा अपीलान्ट को विक्रय कर दिया था जिसकी

जानकारी रेस्पा0 को बखूबी थी। तहत अदालत ने बयनामा सही तरीके पर तस्दीक नहीं किया बल्कि भूमि रामबाबू के नाम है और रामबाबू के द्वारा बयनामा किया गया है। अपीलान्ट को अपीलीय आदेश के विरूद्व अपील पेश किया जाना आवश्यक है जिसकी इजाजत हेतु अलग से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 प्रस्तुत किया जा रहा है जो स्वीकार किया जावें। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 18.8.2018 को हुई जब रेस्पा0 ने अपीलान्ट को धमकी दी कि इंतकाल में वर्णित आराजी से उसका कोई सरोकार नहीं है। दिनांक 20.8.20 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि और दिनांक 20. 8.20 को प्रमाणित प्रति के माध्यम से हुई जिस पर अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद के साथ पेश की है। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावें। अपने कथन की पुष्टी में आर0आर0टी0 2018(2) पेंज 1552–1555 की नजीर पेंश की।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया एवं कानून की मंशा देखी गई। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र 96 सी0पी0सी0 पर विचार किया। न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।सर्वप्रथम दफा–5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। अपीलान्टने यह अपील आदेश दिनांक 9.5.17 के विरूद्ध दिनांक 24.8.20 को इस न्यायालय में पेश की है, जो करीब 3 वर्ष विलम्ब से पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा–5 में वर्णित तथ्यों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुये विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न हैं पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। आराजी हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 0.91 है0 में रामबाबू पुत्र शिम्भु दत्त का 1/24 हिस्सा था, जो उसने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.09.2013 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया तथा विक्रय की गई भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा दे दिया गया था। रामबाबू ने अपनी भूमि दिनांक 23.9.13 को अपीलान्ट को विक्रय कर दिया गया, ऐसी स्थिति में किसी पंजीकृत विक्रय–पत्र को जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता है तब तक उसके वैध होने की उपधारण की जायेगी। तहत अदालत ने बिना जांच किये ही मृतक रामबाबू के वारिसान का अपीलीय आदेश पारित कर दिया चूँकि इंतकाल की कार्यवाही एक सरसरी एवं जांच पडताल की कार्यवाही है, जो तहत अदालत द्वारा नहीं की गई। तहत अदालत ने इंतकाल स्वीकार करते समय बयनामा की सही जांच नहीं की। अतः इस तथ्य की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अपील अपीलान्ट रिमाण्ड किया जाना उचित समझतें है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत का आदेश दिनांक 9.5.17 बाबत इंताकल संख्या–874 ग्राम बहरोड तरफ बलराम तहसील बहरोड जिला अलवर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहत अदालत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक रामबाबू द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 23.9.13 जो अपीलान्ट को किया गया था के संबंध में जांच करें, एवं पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देकर उचित निर्णय पारित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को तहत रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 10–08–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर